न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 10/2019 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2019/01231

दायर दिनांक :– 16.01.2019 **निर्णय दिनांक :–** 08.11.2024

1. प्रकाश पुत्र जुगताराम जाति विश्नोई निवासी करनेवाला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
2. रिछपाल पुत्र जुगताराम जाति विश्नोई निवासी करनेवाला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
3. मोहनी पत्नी धीमाराम जाति विश्नोई निवासी कुशलावा तहसील फलोदी जिला फलोदी
4. गंगा पत्नी मिश्रीराम जाति विश्नोई निवासी जागलू तहसील नोखा जिला बीकानेर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र पोकरराम जाति विश्नोई निवासी नारायणनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. हीराराम पुत्र पोकरराम जाति विश्नोई निवासी नारायणनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. बंशीराम पुत्र पोकरराम जाति विश्नोई निवासी नारायणनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. प्रतापाराम पुत्र पोकरराम जाति विश्नोई निवासी नारायणनगर तहसील बाप जिला फलोदी
5. किशनाराम पुत्र पोकरराम जाति विश्नोई निवासी नारायणनगर तहसील बाप जिला फलोदी
6. भजनाराम पुत्र पोकरराम फौत के कायम मुकाम

6/1 कमला पत्नी भजनाराम जाति विश्नोई निवासी नारायणनगर तहसील बाप जिला फलोदी

6/2 दिनेश पुत्र भजनाराम जाति विश्नोई निवासी नारायणनगर तहसील बाप जिला फलोदी

7. ज्मना पत्नी सहीराम जाति विश्नोई निवासी नारायणनगर तहसील बाप जिला फलोदी
8. जगदीश पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी नारायणनगर तहसील बाप जिला फलोदी
9. राजाराम पुत्र दलीचन्द जाति विश्नोई निवासी बरूआ तहसील टोहना जिला हिसार (हरियाणा)
10. विकास पुत्र सुरजीतसिंह जाति विश्नोई निवासी बरूआ तहसील टोहना जिला हिसार (हरियाणा)
11. कृष्णा पत्नी सुरजीतसिंह जाति विश्नोई निवासी बरूआ तहसील टोहना जिला हिसार (हरियाणा)
12. अंजु पुत्री सुरजीतसिंह जाति विश्नोई निवासी बरूआ तहसील टोहना जिला हिसार (हरियाणा)
13. ऐलची पत्नी बाबूराम जाति विश्नोई निवासी जुड़ तहसील ओसियां जिला जोधपुर
14. शिवकुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति महाजन निवासी रिडमलसर तहसील फाजिल्का (पंजाब)
15. योगेश कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति महाजन निवासी रिडमलसर तहसील फाजिल्का (पंजाब)
16. रामावतार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति महाजन निवासी रिडमलसर तहसील फाजिल्का (पंजाब)
17. अंजुबाला पुत्री सुभाषचन्द्र जाति महाजन निवासी रिडमलसर तहसील फाजिल्का (पंजाब)
18. शशिबाला पत्नी सुभाषचन्द्र जाति महाजन निवासी रिडमलसर तहसील फाजिल्का (पंजाब)
19. उच्छब कंवर पत्नी कुम्भसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया तहसील फलोदी जिला फलोदी
20. उच्छब कंवर पत्नी सुजानसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया तहसील फलोदी जिला फलोदी

08.11.24

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, 1908

उपस्थित :—1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की ओर से
4. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 19 ता 20 की ओर से

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1259/1729 कुल रकबा 147–01 बीघा वाके ग्राम नारायण नगर तहसील बाप जिला फलोदी के काबिज खातेदार काश्तकार है। मूल खसरा नम्बर 1259/1729 रकबा 147–01 बीघा वक्त सेटलमेंट खातेदार धोकला पुत्र काछबा के नाम से खातेदारी में दर्ज हुई जिसका खातेदार धोंकला द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरे के रकबा 147–01 बीघा पर कब्जा काश्त होने से रकबा 147–01 बीघा का लगान अदा किया गया खातेदार धोंकला की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिसान उनके पुत्र भारमल व जुगता के नाम से विरासम का नामान्तरकरण दर्ज हुआ तब से खसरा नम्बर 1259/1729 रकबा 147–01 बीघा भूमि पर कब्जा, काश्त होने से भारमल व जुगता द्वारा रकबा 147–01 बीघा का लगान दिया जाता रहा है। तथा विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जितने रकबे पर कब्जा काश्त है उतनी ही भूमि का लगान लिया जाता है तथा उतने ही रकबे का कृषक खातेदार काश्तकार हो जाता है। खातेदार भारमल पुत्र धोंकला द्वारा खसरा नम्बर 259/1729 ग्राम नारायणनगर में अपने हिस्से में से 50 बीघा का बेचान भंवरलाल वगैरा को कर दिया तथा 50 बीघा भूमि का कब्जा सौंप दिया तथा भंवरलाल ने आगे अपना सम्पूर्ण 50 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थी संख्या 3 मोहनी को कर दिया तथा 50 बीघा भूमि का कब्जा सौप दिया और खातेदार भारमल व जुगता द्वारा संयुक्त रूप से 47–01 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थी संख्या 4 गंगा को कर दिया तथा 47–01 का कब्जा सौंप दिया, जिसके अलग बट्टा नम्बर 1259/1734 डाल दिये गये इस प्रकार खातेदार भारमल पुत्र धोंकला ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा रकबा 73–11 बीघा का बेचान कर भूमि का कब्जा सौंप दिया, जिसे खरीदकर्ता का खरीद के वक्त से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। खातेदार जुगताराम पुत्र धोंकला द्वारा प्रार्थी संख्या 4 को बेचान करने के बाद 50 बीघा भूमि शेष रही जो खातेदार जुगता पुत्र धोंकला के देहान्त के बाद प्रार्थी संख्या 1 व 2 को उतराधिकार में प्राप्त हुई,

A 08.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जिस पर प्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मूल खसरा नम्बर 1259/1729 कुल रकबा 147–01 बीघा ग्राम नारायणनगर जिसके वर्तमान बट्टा नम्बर डालकर खसरा नम्बर 1759/1729 रकबा 100 बीघा तथा 1259/1729 रकबा 47–01 बीघा भूमि का लगान लिया जा रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा नम्बर 1259/1729 का नक्शा भूल से 111–10 बीघा भूमि का बना दिया जो कि मिसल बन्दोबस्त तथा जमाबंदी में अंकित रकबे से 35–11 बीघा कम है जबकि प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे 147–01 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक शांतिपूर्वक चला आ रहा है तथा लगातार 147–01 बीघा का लगान निरन्तर देने से प्रार्थीगण कानूनन रूप से 147–01 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है। प्रार्थीगण के पड़ोसी स्थित खसरा नम्बर 1259 रकबा 176–05 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबा 176–05 बीघा भूमि का नक्शा बनाने के बजाय गलती से 208 बीघा भूमि का नक्शा बना दिया, जबकि तत्समय खातेदार काला वल्द तेजा का रकबा 176–05 बीघा भूमि पर ही कब्जा काश्त था तथा 176–05 बीघा भूमि का ही लगान अदा किया गया। सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा गलती से 31–10 बीघा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1259 में शामिल करते हुवे गलत नक्शा तैयार कर लिया जिसकी दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगणों द्वारा नक्शे में दुरूस्ती हेतु पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी व अप्रार्थी संख्या 19 ता 20 की और से अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 ने जवाब में बताया कि खसरा नम्बर 1259 रकबा 176–05 बीघा भूमि काला पुत्र तेजा के नाम वक्त सेटलमेंट में दर्ज थी। जिस पर वर्तमान में अपने हिस्से अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 काबिज चले आ रहे है। खसरा नम्बर 1259 के किसी भी हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त नहीं है और न ही प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1259 के नक्शा लट्ठा में किसी प्रकार की कोई दुरूस्ती करवाने के हकदार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा हर्जा के खारिज किये जाने के आदेश फरमावे। अप्रार्थी संख्या 19 ता 20 जवाब पेश नहीं करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 21 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में बताया कि ग्राम नारायणनगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1259/1729 रकबा 147–08 बीघा व खसरा नम्बर 1259 रकबा 176–05 बीघा भूमि के वक्त सेटलमेंट में तैयार किये गये मोमीट्रेस नक्शे तथा नक्शा लट्ठा में किसी प्रकार की कोई दुरूस्ती करवाने के प्रार्थीगण हकदार नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम नारायणनगर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1259/1729 रकबा 147–01 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट

08.11.24
[stamp] ...क्टर
बाप (...)

धोंकला पुत्र काछबा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। खसरा नम्बर 1259 रकबा 176—05 बीघा भूमि काला पुत्र तेजा के नाम वक्त सेटलमेंट में दर्ज थी। खसरा नम्बर 1259/1729 में प्रार्थीगण का व खसरा नम्बर 1259 में अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 का वक्त सेटलमेंट अनुसार अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है। तहसीलदार बाप के जवाब व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के जवाब इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम वक्त सेटलमेंट में तैयार किये गये मोमीट्रेस नक्शे तथा नक्शा लट्ठा में किसी प्रकार की दुरूस्ती की जानी उचित प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 का पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.11.24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)